



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)



फोन नं० - 05964-244117

फैक्स नं० - 05964-244622

ई-मेल - eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1078 / 27 सी
सेवा में,

दिनांक 10/06/21

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 है० वनभूमि का गैर वानिकि कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/47083/2020)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/ 161 /2020 /एफ०सी० 12453 दि० 12-03-2021 एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 2420/FP/UK/ROAD/47083/2020 दिनांक 20-03-2021


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०एस० के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है।

क्र. सं०	भारत सरकार द्वारा मॉगी गई सूचना	उत्तर
1	With reply to point No. 03 some other document uploaded in place of geologist report state Govt. may upload the geologist report on line.	भू-वैज्ञानिक की आख्या यथा स्थान ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
2	In reply to point No. 4 following short comings were noticed and state Govt. required to make necessary corrections accordingly.	
(i)	No detailed is filled at para 2.4 in part-1 state Govt. may provide the detail of area proposed for muck disposal at para B 2.4 in component wise breakup in online part one.	भारत सरकार के निर्देशानुसार संशोधित मलवा निस्तारण योजना 1.030 है० की तैयार की गई है जबकि पूर्व में उक्त योजना 0.877 है० की अपलोड की गई थी। संशोधित मलवा निस्तारण योजना में नॉन फॉरेस्ट लैंड एरिया बढ़ गया है। कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में नया डेटा अपलोड करने का विकल्प नहीं दिखा रहा है, जिस कारण पैरा 2.4 कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में ऑन लाईन पोर्टल में संशोधन नहीं हो पा रहा है। उक्त डेटा संशोधन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 961/27 सी दि० 20-05-2021 को नोडल अधिकारी देहरादून से अनुरोध किया गया था। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1019 /27 सी दि० 03-06-2021 को नोडल अधिकारी देहरादून से अनुरोध किया गया था। उक्त डेटा संशोधन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 978 /27 सी दि० 25-05-2021 को एन०आई०सी० दिल्ली से भी अनुरोध किया गया था। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1018 /27 सी दि० 03-06-2021 को एन०आई०सी० दिल्ली से अनुरोध किया गया था परन्तु उक्त डेटा संशोधन नहीं हो पाया और न ही उच्च स्तर से कोई निर्देश प्राप्त हुये है, जिस कारण संशोधित मलवा निस्तारण योजना पैरा 2.4 कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में ऑन लाईन पोर्टल में संशोधित नहीं हो सका अतः संशोधित मलवा निस्तारण योजना अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गई है।
(ii)	It has been mentioned in the muck disposal plan that 57.50 % of muck will be utilized and 10% is natural disposal. The total of the both mentioned as 79 % however it comes to 67.5%.	ऑन लाईन पोर्टल में संशोधन न होने के कारण संशोधित मलवा निस्तारण योजना अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।

क्र. सं०	भारत सरकार द्वारा मॉगी गई सूचना	उत्तर
(iii)	State Govt. may verify whether the muck disposal area is proposed in non forest land only.	मलवा निस्तारण योजना नॉन फारेस्ट लैंड में प्रस्तावित की गई है भू-स्वामी के अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की सहमति उपरान्त अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिये गये हैं।
(iv)	It has also been noticed that no muck disposal site selected after point No. 44 (Thanda pani) till point No. 60 (of geo referenced digital map) however the area from point No. 44 to 60 is parallel to river. In the absence of muck disposal site in this stretch. There is extreme possibility of rolling down of muck in the river in view of the above points. State government is requested to go through the muck disposal plan and submit revised muck disposal plan with complete details and after through check which is essential and critical in the hill area.	ऑन लाईन पोर्टल में संशोधन न होने के कारण संशोधित मलवा निस्तारण योजना अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय



अधिकासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि - माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिकासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग